दिनांक–30.04.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :–

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का उपस्थिति परिशिष्ट–I में संलग्न है।

सर्वप्रथम प्रधान सचिव द्वारा CSG के सम्बन्ध में निम्न मुख्य निर्णय लिये गये हैं–

(क) CSG में वर्त्तमान में अधिसूचित सदस्यों के अतिरिक्त निम्न सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाय तथा एतद् संबंधित आदेश निर्गत किया जाय।

i) मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची।

ii) मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची।

iii) संयुक्त सचिव, प्रभारी निगरानी

iv) प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क

(ख) CSG के Co-ordinator अब से श्री राजेश कुमार चौधरी, सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची होंगे।

(ग) CSG के सभी सदस्यों का E-mail उनके पास रहेगी और CSG की कार्यवाही बैठक के दिन हीं तैयार कर प्रधान सचिव से अनुमोदन के पश्चात् E-mail द्वारा सभी सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी तदोपरान्त संबंधित अधिकारी अग्रेत्तर वाँछित कार्रवाई करेंगे।

(घ) C.S.G की बैठक प्रत्येक मंगलवार को पूर्वाहन् 11.00 बजे विभागीय सभागार में होगी। सभागार के प्रभारी तदनुसार व्यवस्था रखेंगे।

(ड़) इसके अतिरिक्त निम्न विषयों पर भी निर्णय किये गये।

क्र0	विषय / कार्य विवरणी	निर्णय	अनुपालन
1.	राज्य के बाढ़ से संबंधित कार्यों का स्वीकृति हेतु प्रक्रिया।	(क) योजना के तकनीकी स्वीकृति के पूर्व बाढ़ से सम्बन्धित योजनाओं के मामलों में बाढ़ विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण कर योजना पर स्पष्ट अनुशंसा दी जायगी। इस बाढ़ विशेषज्ञ समिति में निम्न सदस्य होंगे। i) अभियंता प्रमुख–I ii) संबंधित मुख्य अभियंता iii) मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची iv) मुख्य अभियंता, देवघर v) मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर vi) गंगा नदी से सम्बन्धित प्रस्ताव एवं किसी भी प्रस्ताव की राशि रू0 12.50 करोड़ से अधिक होने पर	मु०अ०(मो०)

		G.F.C.C., Patna सदस्य के रूप में रहेंगे। (ख) इस समिति के अनुशंसा के उपरांत PWD Code के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अभियंता तकनीकी स्वीकृति देंगे तदोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव उपस्थापित किया जायेगा। इस समिति को तीन दिनों के अन्दर अधिसूचित कर दिया जाय।	
2.	वर्ष 2013–14 में निम्नांकित बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्य का प्रस्ताव विचारणीय उपस्थापित किया गया है।		मु०अ०, जल संसाधन विभाग, देवघर
(i)	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँयें तट पर चंडीपुर ग्राम के पास कराये गये कटाव निरोधक कार्य का पुनर्स्थापन कार्य।	स्वीकृत, प्राक्कलित राशि रू० 8.19 लाख	–वही–
(ii)	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँयें तट पर शोभापुर ग्राम (Phase I) के पास कराये गये कार्य का पुनर्स्थापन कार्य।	स्वीकृत, प्राक्कलित राशि रू० 8.15 लाख	–वही–
(iii)	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँयें तट पर शोभापुर (Phase II) का पुनर्स्थापन कार्य।	स्वीकृत, प्राक्कलित राशि रू० 188.225 लाख	–वही–
(iv)	साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दाँयें तट पर नारायणपुर ग्राम के पास Launch किये गये Edge Crating कार्य का पुनर्स्थापन कार्य।	स्वीकृत, प्राक्कलित राशि रू० 10.76 लाख	–वही–
(v)	सुवर्णरेखा नदी के बाँयें तट पर लक्ष्मण नगर गाँव के पास बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य। (चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर)	प्राक्कलित राशि रू० 65.2295 लाख	अभियंता प्रमुख–I, स्थल का निरीक्षण करेंगे।
3.	साहेबगंज के पूरे गंगा तट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	अधीक्षण अभियंता, साहेबगंज ने बताया कि झारखण्ड राज्य का मात्र साहेबगंज जिला गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। इसके तट की लम्बाई 42 कि०मी० है। इसके 25 कि०मी० लम्बाई में तट सुरक्षित है। अधीक्षण अभियंता, साहेबगंज इस गंगा तट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान 28.05.2013 की बैठक में Power Point Presentation करेगें।	अधीक्षण अभियंता, साहेबगंज

4.	प्रधान सचिव के द्वारा सोन नदी के लिए Vulnerable/Critical भाग के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने का निदेश।	मु०अ०, मेदिनीनगर बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्य का मास्टर प्लान तैयार कर 28.05.2013 के बैठक में Power Point Presentation करेंगें।	मु०अ०, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर
5.	प्रधान सचिव के द्वारा सुवर्णरेखा नदी के लिये Vulnerable/Critical भाग के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने का निदेश।	मु०अ०. चांडिल कॉम्पलेक्स बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्य का मास्टर प्लान तैयार कर 28.05.2013 के बैठक में Power Point Presentation करेंगें।	मु०अ०, चांडिल कॉम्पलेक्स
6.	बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्य के कार्यान्वयन हेतु Manual की स्वीकृति।	झारखण्ड में बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्य सीमित रूप में किया जाता है। अतः Manual की आवश्यकता नहीं है। विभाग से इस कार्य के कार्यान्वयन हेतु आदेश के लिए सात दिनों के अन्दर संलेख तैयार किया जायेगा।.	मु०अ०(मो०) संलेख तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।
7.	वर्ष 2013–14 में पूर्ण की जाने वाली योजनाओं के संबंध में विस्तृत योजना।	अभियंता प्रमुख–I एवं II योजनाओं के कार्यान्वयन एवं पूर्ण करने का फेजवार समय निर्धारित कर अलग बैठक में प्रतिवेदन देंगे।	अभियंता प्रमुख– I एवं II
8.	उड़नदस्ता के जाँच हेतु प्रपत्र।	परामर्शी–II विभागीय जाँच प्रतिवेदन का Format Revise करेंगे।	परामर्शी–II
9.	झालको से लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में।	झालको लघु सिंचाई के 20 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचन क्षमता वाले योजना का निर्माण करायेगा। इससे कम क्षमता का कार्य नहीं लेगा। झालको को एक सप्ताह के अन्दर अगले C.S.G. के बैठक के पूर्व सभी योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।	अभियंता प्रमुख– II
10.	झालको को वाणिज्यक संस्थान के स्वरूप को बदलने का प्रस्ताव।	अभियंता प्रमुख–II ,झालको के बोर्ड की बैठक आहूत कर झालको को कल्याणकारी संस्था के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव लायेंगे।	अभियंता प्रमुख– II
11.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी के अधीन अनरिया नाला पर श्रृखंलाबद्ध चेकडैम योजना स्थल का निरीक्षण।	परामर्शी– II द्वारा स्थल का निरीक्षण अगले C.S.G. बैठक के पूर्व किया जायेगा।	परामर्शी–II

12.	श्री बी० के० झा, उप सचिव ने श्री मोद नारायण मंडल के संबंध में निर्णय हेतु प्रधान सचिव के पास संचिका उपस्थापित किया।	प्रधान सचिव ने संलेख प्रस्तुत करने का निर्णय दिया परन्तु श्री झा ने पुनः इसे सुनने हेतु अनुरोध किया। प्रधान सचिव ने उनकी बात सुनी और निर्णय लिया कि इसे संलेख के साथ अगली बैठक में रखा जाय।	श्री बी० के० झा, उप सचिव
13.	वाह्य विभाग में पदस्थापित अभियंताओं के मामले में अनियमितता के शिकायत प्राप्त होने पर किस विभाग द्वारा कार्रवाई किया जायेगा।	संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई किया जायेगा एवं इसकी सूचना इस विभाग में उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु निगरानी के संयुक्त सचिव/उप सचिव C.S.G. की अगली बैठक में संलेख औचित्य सहित तैयार कर उपस्थापित करेंगे।	संयुक्त सचिव (प्र०)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह०/-

(एस०के०शतपथी)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2/PMC/CSG–69/2011...../ राँची, दिनांक– .....

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/देवघर/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अग्रिम योजना, राँची/रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी)/संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)/संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2/ PMC/CSG–69/2011...../ राँची, दिनांक– .....

प्रतिलिपि :अभियंता प्रमुख–I/अभियंता प्रमुख–II,/परामर्शी–I/ परामर्शी–II, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल–1, 2, 3/प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2/ PMC/CSG–69/2011...../ राँची, दिनांक– .....

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन विभाग) के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

2/PMC/CSG-69/2011-366 SGIS-30.4.2013

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, बेवसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

30.4.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)
30/04/13